न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 99/2019-20

लक्ष्मी देवी पति रमन राम गौंझू – अपीलकर्त्ता
ग्राम–डहुगुटू, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।

बनाम्

अंचल अधिकारी, खूँटी। – विपक्षी

आदेश का क्रम सं0 एवं तारीख	**आदेश**	की गई कार्रवाई
12.11.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–1463R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.19 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–	

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
डहुगुटू	खूँटी 89	24	166	0.08

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि मौजा–डहुगुटू, थाना–खूँटी के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.08 एकड़ है जिसे शिवदयाल घासी पिता स्व0 जगरनाथ घासी ग्राम–डहुगुटू, थाना–खूँटी से विक्रय पट्टा सं0 1292 दिनांक 08.09.1975 से क्रय की गयी है। वर्णित जमीन RS खतियानी में बकास्त मालिक के नाम लगान पाने वाला जगरनाथ घासी वल्द सुखराम घासी के नाम काएमी दर्ज पाया है।

अंचल अधिकारी, कर्रा के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि अनुसूचित जाति के द्वारा बिक्री किये जाने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया एवं पाया कि निबंधन बिक्रय पट्टा दिनांक 08.09.1975 को निष्पादित है आवेदिका द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन दिनांक 20.09.2019 को अंचल कार्यालय में आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदित भूमि अनुसूचित जाति का है। भूमि का बिक्री बिना अनुमति से की गयी है। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) Proviso(b) से प्रभावित है।

अतः अपील वाद अस्वीकृत की जाती है। अंचल अधिकारी के आदेश को यथावत रखी जाती है।

लेखापित एवं संषोधित

12/11/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

12/11/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।